संख्या-33/2016/1320/60-2-16-2/13(57)03 टी.सी.-बी

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2016

विषय : डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद गोण्डा हेतु चयनित आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-72/बा.वि.परि./स.ग्रा.वि.यो./2016-17 दिनांक 26 अप्रैल, 2016 एवं जिलाधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या-1763, दिनांक 15.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 07.01.2015 द्वारा कुल रूपये 71;2708 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें जनपद गोण्डा में 17 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु मनरेगा के अंश को छोड़ते हुए रूपये 80.75 लाख की धनराशि भी सम्मिलित थी। उक्त धनराशि में से प्रथम किश्त की रूपये 40.375 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को दिया गया था तथा शेष रूपये 40.375 लाख की धनराशि नेटवर्क फेल हो जाने के कारण सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के नाम से चेक निर्गत न हो पाने से लैप्स हो गयी। अत: अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 154.00 करोड़ (रूपये एक अरब चौवन करोड़ मात्र) में से डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद गोण्डा में चयनित आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण को पूर्ण किये जाने हेतु रुपये 40,37,500/- (रुपये चालीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन जनपदवार निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1310/60-2-14-2/13(97)03, दिनांक 09.06.14 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृति धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए किसी अन्य योजना से धनराशि, इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के संबंध में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
7. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2537/60-2-12-2/13(57)/03 दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्गत निर्देशों/दरों के अनुसार निर्माण कार्य की कार्यवाही की जाय।
8. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आंगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण हेतु आवश्यक भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है।
10. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाय।
11. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक ''4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के060/रा040-के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य ' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-3-824/दस-2016, दिनांक 31.05.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

<u>संख्या-33/2016/1320(1)/60-2-2016, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र.,इलाहाबाद।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी, गोण्डा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. राज्य योजना आयोग-1/केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।